न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398 / 2021

अनवान : –

1. भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. भादर पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. नारायणी पत्नी मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. बीमला पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. समेस्ता पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. रामी पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. गीता पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. मनीराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. शारदा पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. कमला पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. कमला पत्नी ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. पतराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. किशना पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. पारी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
18. सुगनी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
19. सुन्दर पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
20. सावत्री पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
21. मन्जु पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
22. राजबाल पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
23. राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
24. हनुमान पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
25. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता सं0 398/4 1/2390 हैक्टर भूमि लाधुराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लाधुराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि वादी का दादा है। लाधुराम पुत्र डुंगरराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा लाधुराम के तीन पुत्र मुखराम,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

श्योकरसण, चन्दुराम भी फौत हो चुके है एवं श्योकरण का एक लड़का ओमप्रकाश भी फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार लाधुराम पुत्र डुंगरराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 व 23 ता 25 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 ने अपना हक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 20 ता 22 का संयुक्त रू‍प से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा में से प्रतिवादीगण संख्या 14 व 23 ता 25 का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 15 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 25 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 26 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा थिराना खाता स0 308/401 सम्वत 2072–75, मृत्यु प्रमाण पत्र मुखराम, लादुराम, चन्दुराम, श्योकरण, ओमप्रकाश, शपथ पत्र बाबत सदस्य बहक लादुराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लाधुराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का दादा है। लाधुराम पुत्र डुंगरराम का स्वर्गवास हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा लाधुराम के तीन पुत्र मुखराम, श्योकरसण, चन्दुराम भी फौत हो चुके है एवं श्योकरण का एक लड़का ओमप्रकाश भी फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार लाधुराम पुत्र डुंगरराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 व 23 ता 25 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 ने अपना हक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 20 ता 22 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा में से प्रतिवादीगण संख्या 14 व 23 ता 25 का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 15 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 308/4 1.2390 हैक्ट भूमि लाधुराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लाधुराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का दादा है। लाधुराम पुत्र डुंगरराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा लाधुराम के तीन पुत्र मुखराम, श्योकरसण, चन्दुराम भी फौत हो चुके है एवं श्योकरण का एक लड़का ओमप्रकाश भी फौत हो चुका है। पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार लाधुराम पुत्र डुंगरराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 व 23 ता 25 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 ने अपना हक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 20 ता 22 का संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा में से प्रतिवादीगण संख्या 14 व 23 ता 25 का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 15 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 19 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक लाधुराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 308/401 की कु 1.2390 हैक्ट भूमि में लाधुराम पुत्र डुंगरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब 3/4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 398 / 2021

अनवान : –

1. भालाराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. भादर पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. नारायणी पत्नी मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. बीमला पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
8. समेस्ता पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
9. रामी पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
10. गीता पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
11. मनीराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
12. शारदा पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
13. कमला पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
14. कमला पत्नी ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
15. पतराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
16. किशना पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
17. पारी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
18. सुगनी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
19. सुन्दर पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
20. सावत्री पत्नी चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
21. मन्जु पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
22. राजबाल पुत्री चन्दुराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
23. राजेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
24. हनुमान पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
25. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 398 सन 2021 निर्णय दिनांक –07/10/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अ[illegible]वं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल [illegible] में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्र[illegible]दीगण की सहमति के आधार पर साबित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 308/401 की कुल 1.2390 हैक्ट भूमि में लाधुराम पुत्र डुंगरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब 3/4 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:30 IST
Reason: SelfAttested